न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 401/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्लयूडी तहसील नोहर।
2. रामप्रताप 3. भागीरथ 4. हंसराज 5. राधेश्याम 6. कृष्ण 7. महेन्द्र 8. रामरतन पि0 रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
9. विमला देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी कृपाल सिंह जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल डुगराना तहसील भादरा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री सत्यनारायण अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 14/51 की कुल 6.3760 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी वादी के दादा श्रीराम फौत हो चुके है वादी के दादा के देहान्त के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 9 को उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 6 ने [illegible] इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी स0 6 की उक्त भूमि जरिये कानूनी [illegible] से 50000 रूपये [illegible]रारनामा दिनांक

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

12.05.2023 से प्रतिवादी स0 1 से अपने पक्ष में करवाया है। वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 व 7 ता 9 उक्त भूमि में किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है।

अधिवक्ता वादी ने पैरवी हिदायत नही करना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक काउंटर डिक्री किया जावे बहस वकील प्रतिवादी सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी स0 6 की उक्त भूमि जरिये कानूनी स्टेम्प से 50000 रूपये में इकरारनामा दिनांक 12.05.2023 से प्रतिवादी स0 1 से अपने पक्ष में करवाया है। वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 व 7 ता 9 उक्त भूमि में किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने के अधिकारी नही है एवं मुताबिक इकरारनामा के प्रतिवादी स0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। लेकिन इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादी स0 6 न्यायालय हाजा से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अत प्रतिवादी स0 6 का काउंटर स्वीकार येाग्य नही है।

अतः वादी के द्वारा हिदायत पैरवी नही होना जाहिर करने व वादी स्वयं उपस्थित नही होने के कारण वाद वादी पैरवी के अभाव में खरिज किया जाता हैं एवं प्रतिवादी स0 6 का काउंटर साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....30/03/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 401/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्लयूडी तहसील नोहर।
2. रामप्रताप 3. भागीरथ 4. हंसराज 5. राधेश्याम 6. कृष्ण 7. महेन्द्र 8. रामरतन पि0 रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर।
9. विमला देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी कृपाल सिंह जाति मेघवाल निवासी चक गोकुलपुरा 16 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर हाल डुगराना तहसील भादरा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 401 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील प्रतिवादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी के द्वारा हिदायत पैरवी नही होना जाहिर करने व वादी स्वयं उपस्थित नही होने के कारण वाद वादी पैरवी के अभाव में खरिज किया जाता हैं एवं प्रतिवादी स0 6 का काउंटर साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:22:04 IST
Reason: SelfAttested